10

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R.5134-III/15

पन्नालाल पाल तनय श्री बंशधारी पाल निवासी ग्राम अमहटा 22 तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

......................**आवेदक**

बनाम्

शीतला प्रसाद तिवारी तनय श्री भाईलाल तिवारी निवासी ग्राम अमहटा 22 थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

...................**अनावेदक**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 134/अ19/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

कि ग्राम अमहटा तहसील हनुमना की भूमि खसरा नम्बर 185 रकवा 0. 393 हें0 (0.98 एकड़) मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व में दर्ज किस्म पहाड़ भूमि है, जो आवेदक व अन्य ग्रामवासियों का निस्तार एवं रास्ते की भूमि है, जिसमें अनावेदक जिसका अन्य भूमियों में स्वयं का मकान है, तथा उसकी पत्नी तारकेश्वरी देवी एवं पिता भाईलाल आदि के पास कई एकड़ की कृषि भूमियां है, जो कि सम्पन्न कृषक है, तथा विवादित भूमि में आम निस्तार की भूमि है, मे पात्रता न होने के बावजूद तहसीलदार तहसील हनुमना के समक्ष म0प्र0 ग्रामों में की दखल रहित भूमि विशेष उपबंध 1970 संशोधित अध्यादेश 2012 के तहत 31 दिसम्बर 2011 के पूर्व निजी प्रयोजन या अनुसांगिक प्रयोजन के लिए भवन का निर्माण कर लिया हो, उस तारीख को विद्यमान

क्रमशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./5134/दो/15 जिला- रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/8/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मोरध्वज सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 134/अ-19/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई । 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि शासकीय भूमि जो अनावेदक को आवंटित की गई है वह उसका लेने का पात्र ही नहीं था। लेकिन आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अनावेदक के नाम म0 प्र0 दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों पर प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध 1970 के संशोधित अधिनियम 2012 के तहत आदेश पारित किया है। म0 प्र0 ग्रामों की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध अधिनियम 1970 संशोधन 2012 में लिमिटेशन समय सीमा 1963 के उपबंध लागू होने का उक्त अधिनियम में कहीं कोई प्रावधान न होने से न तो विलंब क्षमा पाने का अधिकारी है और न ही अपील में प्रावधान है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.15 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसलिए	

उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 134/अ-19/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य